झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०–08 / ज०सं०(नि०) ग्रा०–33 / 2010 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के पत्रांक– 1274N दिनांक– 20.11.2010 द्वारा श्री भीम कुमार (ID- 4401) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गोड्डा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में उपलब्ध कराया गया आरोप– "मेहरमा प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा योजना सं०–03 / 2008–09 गोड्डा पीरपैंती मुख्य सड़क से बेनीदास भुस्का तक ग्रेड–II पथ निर्माण योजना में अनियमितता" – की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5385 दिनांक– 16.10.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

II. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक– 151 दिनांक– 27.04.2016 द्वारा उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री भीम कुमार के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

III. जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री भीम कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गोड्डा को आरोपमुक्त किया जाता है तथा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित की जाती है।

IV. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....राँची / दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....राँची / दिनांक .....

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा– II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची /श्री घनश्याम प्रसाद सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 2136 दिनांक– 14.08.2019 के क्रम में श्री सिंह / श्री चंद्र प्रकाश सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–शिकायत निवारण पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक– 2404 दिनांक– 23.09.2019 के क्रम में श्री सिन्हा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2644 ..... राँची / दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपि :– मनरेगा आयुक्त, राज्य मनरेगा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग / श्री भीम कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.6.2020

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव